

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 12 सन 2017

अनवान :-

1. नोरगलाल 2 रामजस पि० हनुमान जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र भैरा जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सोहनलाल 3 ओम 4 भागी 5 ग्यारसी 6 श्योकारी 7. जीवा पुत्र/पुत्रीयान हनुमान जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. शान्ति पत्नी आदुराम पुत्र हनुमान जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. बिमला 10 सिलोचना पुत्रीयान आदुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 11 अंजली 12 कचन पुत्रीयान आदुराम नाबादिग जरिये कुदरती बली माता मु०शान्ति पत्नी आदुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
- 13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 525/455 के प०न० 97/49(434) किला न० 12 ,18 ता 20 ,21/1 ,22/2 ,23/2 ,24/1 ,25/2 कुल 2.1510हैक् प०न० 97/58(492) के किला न० 1 ,10 ता 12 ,19 ता 23 /2.2770 , प०न० 97/50(493) के किला न० 1 ता 25/6.3250हैक् प०न० 97/42(494) के किला न० 17 ता 25/2.2770 , प०न० 97/43(513) के किला न० 1 ,2/0.506 , प०न० 97/51(514) के किला न० 1 ता 21/4.7560हैक् प०न० 97/59(515) के किला न० 1 ता 3 ,9 ,10 की 1.2650हैक् प०न० 97/44 (573) कि किला न० 10/0.25 कुल 19.8100हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भैराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भैराराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई जिसका भी देहान्त हो चुका है हनुमान का एक पुत्र आदुराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 है इस प्रकार हनुमान के नाम दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 एवं 9 ता 12 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4, ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 , 9 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 , 9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 9 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भैराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,9 ता 12 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 9 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 525/455 के प0न0 97/49(434) किला न0 12 ,18 ता 20 ,21/1 ,22/2 ,23/2 ,24/1 ,25/2 कुल 2. 1510हैक् प0न0 97/58(492) के किला न0 1 ,10 ता 12 ,19 ता 23 ,./2.2770 , प0न0 97/50(493) के किला न0 1 ता 25/6.3250हैक् प0न0 97/42(494) के किला न0 17 ता 25/2.2770 , प0न0 97/43(513) के किला न0 1 ,2/0.506 , प0न0 97/51(514) के किला न0 1 ता 21/4.7560हैक् प0न0 97/59(515) के किला न0 1 ता 3 ,9 ,10 की 1. 2650हैक् प0न0 97/44 (573) कि किला न0 10/0.25 कुल 19.8100हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भैराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भैराराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई जिसका भी देहान्त हो चुका है हनुमान का एक पुत्र आदुराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 है इस प्रकार हनुमान के नाम दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 एवं 9 ता 12 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4, ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 , 9 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 , 9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 9 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 525/455 की कुल 19.8100हैक् भूमि प्रतिवादी

उप अधिवक्ता (राजस्व)
बोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त हो चुका है एव प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान के एक पुत्र आदुराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 है इसलिये हनुमान ने नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,4 ता 7 ,9 ता 12 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,9 ता 12 स्वय न्यायालय में उपरिथत होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,9 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काविल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,9 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा विरकाली के खाता संख्या 525/455 की कुल 19.8100हैक् भूमि मृतक हनुमान के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज में हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण प्रत्येक 1/6- हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जावता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
उपर्युक्त अधिकारी (राजस्व)
नोड्डेहर (हनुमानगढ़) (राजस्व)

पर्या डिक्री

(आर्डर 20, सल 6-7 जादा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. नौरगलाल 2 रामजस पि0 हनुमान जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

- 1 हनुमान पुत्र भैरा जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 सोहनलाल 3 ओम 4 भागी 5 ग्यारसी 6 श्योकारी 7. जीवा पुत्र/पुत्रीयान हनुमान जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. शान्ति पत्नी आदुराम पुत्र हनुमान जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. बिनला 10 सिलोचना पुत्रीयान आदुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 11 अंजली 12 कचन पुत्रीयान आदुराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0शान्ति पत्नी आदुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
- 13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 12 सन 2017 निर्णय दिनांक-29/07/2020

आज यह वाद मुझे श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 525/455 की कुल 19.8100 हेक् भूमि मृतक हनुमान के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज में हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण प्रत्येक 1/6- हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्या डिक्री आज दिनांक 29/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. नोरगलाल 2 रामजस पि0 हनुमान जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

- 1 हनुमान पुत्र भैरा जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 सोहनलाल 3 ओम 4 भागी 5 ग्यारसी 6 श्योकारी 7. जीवा पुत्र/पुत्रीयान हनुमान जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. शान्ति पत्नी आदुराम पुत्र हनुमान जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. बिमला 10 सिलोचना पुत्रीयान आदुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 11 अंजली 12 कचन पुत्रीयान आदुराम नाबालिंग जरिये कुदरती बली माता मु0शान्ति पत्नी आदुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
- 13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 12 सन 2017 निर्णय दिनांक- 29.07.2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 525/455 की कुल 19.8100हैक् भूमि मृतक हनुमान के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज में हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण प्रत्येक 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमव जयत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)